

कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वारथ्य अभियान्त्रिक विभाग

कटुमार
क्रमांक -

832

✓ श्रीमान उप वन संरक्षक
वन विभाग
अलवर।

दिनांक 5/9/19

विषय :- डायवर्जन ऑफ 0.05 है0 फोरेस्ट लैंड फार वाटर
सप्लाई स्कीम विलेज सौखरी डिस्ट्रिक्ट अलवर इन फॉर ऑफ
पी0एच0ई0डी0।

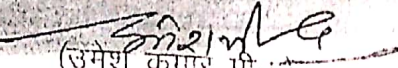
सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 5370 72 दिनांक 27.06.2019
उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्तर्भित पत्र के तहत आप द्वारा ई0डी0एस0

में वर्णित फ0स0 6 के क्रम में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के
कारण उक्त प्रस्ताव की एक मूल प्रति एवं दो कापी सहित 3 प्रतियां चाही गई है।

जो आवश्यक कार्यावाही हेतु भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में

आप्रेम कार्यावाही करने का श्रम करें।

संलग्न :- प्रकरण की मूल प्रतियां 2 नम्बर।

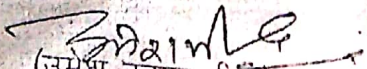

(उमेश कुमार मीना)
सहायक अभियन्ता

जन स्वारथ्य अभियान्त्रिक विभाग
उपखण्ड कटुमार
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित-

- 1- श्रीमान मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
- 2- श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर।
- 3- श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग खण्ड राजगढ़ को पत्रांक 1610
दिनांक 27.06.2019 के क्रम में।


(उमेश कुमार मीना)
सहायक अभियन्ता
जन स्वारथ्य अभियान्त्रिक विभाग
उपखण्ड कटुमार